



Govt. Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



Right To Information Act 2005

क्रमांक: राअमअ/RTI /2019/245


दिनांक: 31.07.19

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सुनील कुमार शर्मा के संबंध में द्वितीय अपील पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) का नोटिस दिनांक 05.07.2019 प्राप्त हुआ है। "जिसमें यह अंकित किया गया है कि सूचना नहीं दिये जाने के कारण क्यों न आपको उक्त धारा के तहत दण्डित किया जावे।" जिसकी व्यक्तिगत सुनवाई राज्य सूचना आयोग, जयपुर में दिनांक 17.09.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे (कोर्ट सं. 4) में होनी तय है।


अतः उक्त के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4), 5(5) के तहत महाविद्यालय के निम्न लिखित विभागाध्यक्षों (Deemed PIO's) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक को अपना स्पष्टीकरण रखने हेतु आप स्वयं भी बतौर राज्य लोक सूचना अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।

1. डॉ. राकेश राठी, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइन्स अभियांत्रिकी विभाग
2. डॉ. हरिशंकर मेवाड़ा, विभागाध्यक्ष ई.आई. एण्ड सी.ई. विभाग
3. डॉ. आलोक खत्री, विभागाध्यक्ष यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग
4. डॉ. गणपत सिंह, विभागाध्यक्ष सिविल अभियांत्रिकी विभाग


31/7/2019
प्राचार्य एवं
अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- 213m3/2019/3127-3132

1. संबंधित विभागाध्यक्ष को पालनार्थ
2. RTI Cell
3. रक्षक पत्रावली


कुलसचिव एवं
राज्य लोक सूचना अधिकारी